15

# अब रेरा में निबंधन कराना और महंगा

राज्य ब्यूरो, पटना : रेरा (रीयल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) बिहार ने निर्माणाधीन आवासीय और व्यवसायिक परियोजनाओं का निबंधन शुल्क बढ़ा दिया है। पहली फरवरी से नया शुल्क लागू हो गया है। अब बिलंब करने पर बिल्डरों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पांच लाख रुपये निबंधन शुल्क देना होगा। जबकि आवासीय और व्यवसायिक मिश्रित परियोजना का सात लाख रुपये निबंधन शुल्क कर दिया है। यही नहीं, दोनो श्रेणी में शुल्क जमा नहीं करने पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का पांच फीसद जुर्माना भरना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि रेरा की जांच में बगैर निबंधन निर्माणाधीन परियोजना पकड़े जाने दस लाख रुपये निबंधन शुल्क भरना होगा। अगर कोई शिकायत करता है और जांच में इसकी पुष्टि हो जाती है तो दस लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।